20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

311

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2572

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

लक्ष्मी प्रसाद पटेल पुत्र श्री शिवदयाल पटेल, निवासी– ग्राम गढ़ी व पोस्ट गढ़ी मलहेरा, तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. किशोरी लाल पुत्र बालकिशुन पटेल, निवासी– ग्राम गढ़ी व पोस्ट गढ़ी मलहेरा, तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. ओम प्रकाश पटेल पुत्र बालकिशुन पटेल, निवासी– ग्राम गढ़ी व पोस्ट गढ़ी मलहेरा, तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) **---अनावेदकगण**

श्री ... द्वारा आज दि. 5.8.17 प्रस्तुत

5.8.17

ABargava
अंकित भार्गव
(अधि॰)
05-08-2017

<u>न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ी मलेहरा, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर म.प्र., द्वारा नकशा में सर्वे क्रमांक 104/1 एवं 104/2 के विषय में की गयी तरमीम कार्यवाही के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, ग्राम गढ़ी मलेहरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 104 कुल रकबा 4.59 हे. में से संर्वे क्रमांक 104/3 रकबा 1.134 हे. के रूप में भूमि शासकीय बटवारा नामांतरण पंजी क्र. 2 आदेश दिनांक 24/04/1985 द्वारा आवेदक की पत्नी बैनी पुत्री हरदास को रोड से लगी हुई भूमि प्राप्त हुयी थी। आवेदक की पत्नी के स्वर्गवास उपरांत उपुर्यक्त भूमि पर आवेदक का नमांतरण हो गया है तदानुसार आवेदक उपर्यक्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी चला आ रहा है।
2. यहकि, इसी प्रकार अनावेदकगण को सर्वे क्रमांक 104/2 एवं 104/1

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2572

लक्ष्मी प्रसाद विरूद्ध किशोरी व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। 3. आवेदक अभिभाषक द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ी मलेहरा, तहसील महाराजपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 104/1 एवं 104/2 में पारित आदेश दिनांक 24-04-1985 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 05-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. राजस्व निरीक्षक के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7/01/19
सदस्य